क्र० उ० ...
को पेश हो

ह०

30/5/23	पत्रावली पेश हुई अधि० उभयपक्ष उप०। वादी को बहस करने के लिए कहा गया तो अधि० वादी ने जाहिर किया कि अभी तलबी शेष है इसलिए वाद प्रार्थना पत्र/दावे को नहीं सुना जाना चाहिए। अधि० प्रति० सं० 3 ने जाहिर किया कि प्रकरण में प्रति० सं० 1 की मृत्यु हो चुकी है मुख्य रिलीफ प्रतिवादी सं० 1 से चाहा गया था जो कि वादी एवं	

को पे० ... ह०

के द्वारा एवं
समस्त प्रतिवादीगण के द्वारा एवं
समस्त प्रतिवादीगण
पिता हैं। प्रतिवादी क्र.01 (01)
के मौत होने के बाद
आराजी जरिये विरासत नामान्तरण
वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम
नियमानुसार बराबर हिस्से
से आती है। एकतरफा
अस्थाई निषेधाज्ञा के चलते
वादी एवं प्रतिवादीगण का
कोई इंतकाल नहीं खुल
पा रहा है विधिक वारिसानों
को उनके पैतृक हकों से
महरूम किया जाना कतई
उचित नहीं है। नियमानुसार
भी प्रतिवादी क्र. 3 जो
कि वादिनी का भाई है
के विरुद्ध वादिनी के
कोई रिलीफ नहीं चाहिए
क्योंकि कोई भी शेष
रहा प्रतिवादी वादिनी के
हिस्से में आई आराजी
आराजी को विक्रय नहीं कर
सकता है अतः मुख्य प्रतिवादी,
प्रतिवादी क्र. 1 पिता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	हुक्म
	था जिसके द्वारा आराजी विक्रय किए जाने के क्रम में संभावना पर स्थगन आदेश प्रसारित किया गया था। अन्य प्रतिवादीगणों के द्वारा अपने हिस्से से अधिक की आराजी विक्रय नहीं की जा सकती है। अतः मैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 11-10-2019 को जारी एकतरफा स्थगन आदेश को जारी करना उचित नहीं समझती हूँ। पिता के फौत हो जाने पर प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को उनके हक से महरूम रखा जाना उचित नहीं होने से प्रार्थना पत्र 212 RT act खारिज किया जाता है।	

प्रतिवादी क्रम के फौत हो जाने पर अब दावे / प्रार्थना पत्र दोनों की नेचर भी बदल चुकी है। नियमानुसार वादी-प्रार्थी को दावा भी संशोधित कराना चाहिए। चूंकि प्रार्थना पत्र की रिलीफ में वादिनी द्वारा यह रिलीफ चाही गई थी कि खाते में नाम होने का नाजायज लाभ उठाकर, अप्रार्थी क्रम 1 आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है, एवं अब चूंकि अप्रार्थी क्रम 1 फौत हो चुका है अत: प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है।

अत: प्रार्थना पत्र मे दिनांक 11/10/2019 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम श्रीपुरा तहसील पीपल्दा के खाता संख्या 23 के खसरा नं० 32 रकबा 0.30 हे०, ख० नं० 58 रकबा 0.10 हे०, खसरा नं० 192 रकबा 1.48 हे० कुल किता 3 के रकबा 4.88 पर से स्थगन आदेश का नोट हटाया जावे। पत्रावली मे पारित आदेश पढ़कर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली खारिज फैसल होकर नम्बर से कम हो।